XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध अनुमति वाद संख्या–05/11

बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

श्री धर्मचन्द्र उरांव, पिता–स्व0 थल्लो उरांव, साकिन–वीरपुर, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ.....

आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार .....

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी बीमारी का ईलाज करवाने हेतु मौजा–वीरपुर, थाना नं0–102, खाता नं0–550, खेसरा नं0–402 रकवा 0.84 एकड़ जमीन बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत बिक्री करने हेतु अनुमति के लिए दायर किया गया है।

आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत जमीन आवेदक के दादा सोमर उरॉव, पिता सोनाई उरॉव के नाम से पंजी–II में दर्ज है, जिसका लगान रसीद भी प्राप्त है। आवेदक दो भाई है। आवेदक के दादा एवं पिता के मरणोपरान्त प्रश्नगत जमीन पर आवेदक दोनों भाई दखलकार है

आवेदक द्वारा अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में भी अनुमति वाद दायर किया गया था। जिसका वाद सं0–20/2010 है। जिसमें अपर समाहर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी पूर्णियाँ पूर्व से जॉच प्रातिवेदन की मांग की गई है। अंचल अधिकारी पूर्णियाँ पूर्व से प्राप्त प्रतिवेदन उप–समाहर्त्ता प्रभारी, जिला राजस्व शाखा पूर्णियाँ के पत्रांक–3094/रा0, दिनांक–29.12.2010 द्वारा प्राप्त है। जिसमें प्रतिवेदित है कि :– जमाबंदी रैयत सोमर उरॉव पिता–सोनाई उरॉव, सा0 वीरपूर के नाम से पंजी– II दर्ज है। जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

प्रश्नगत जमीन का विवरणी निम्न प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5
वीरपूर	102	420	2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2593	2.68

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5
वीरपूर	102	550	402	4.92
		551	476	0.68
		548	478	2.37
		549	481, 483, 488, 491, 497, 507, 461, 462, 614, 616, 618, 2478, 2629, 2502	7.10

बिक्री की जानेवाली जमीन का ब्यौरा :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5
वीरपूर	102	550	402	0.84

प्रश्नगत जमीन का जमाबन्दी रैयत आवेदक के स्व0 दादा के नाम से पंजी–प दर्ज है। आवेदक के पिता का भी मृत्यु हो चुका है। वर्णित जमीन में आवेदक दो भाई है। इस प्रकार आवेदक का हिस्सा 2.21 डिसमिल 8 1/2 कड़ी होता है, जिसमें बिक्री करने के पश्चात आवेदक के पास 1.37 एकड़ 8 1/2 कड़ी बच जाता है। प्रश्नगत जमीन आवेदक के दखल–कब्जा में है। प्रश्नगत जमीन बिक्री करने के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। प्रश्नगत जमीन भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, बिहार सरकार गैर मजुरूआ खास या आम तथा स्वत्ववाद से मुक्त है। प्रश्नगत जमीन बिक्री करने हेतु अधियाचना किये है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी बीमारी का ईलाज करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ